संख्या:35/2022/1624693/12-2099/59/2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 23 मई, 2022

विषय: राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर प्राकृतिक खेती (आर्गेनिक खेती) किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में स्थापित राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में से 10 से 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले प्रक्षेत्रों पर 1.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर तथा 20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्रक्षेत्रों पर 2.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर प्राकृतिक खेती (आर्गेनिक खेती) द्वारा बीजोत्पादन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। उत्पादित बीजों की टैगिंग व पैकिंग कराकर कृषकों में वितरण हेतु पूर्व की व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्राकृतिक खेती में प्रयोग हेतु गाय की व्यवस्था निकटस्थ गौशाला से की जाएगी। उक्त पर होने वाला व्यय प्रक्षेत्र योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट से किया जायेगा।

2. अतएव कृपया तदनुसार प्रदेश में राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की संलग्न सूची के अनुसार खरीफ, 2022 से प्राकृतिक खेती (आर्गेनिक खेती) कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:35/2022/1624693/12-2099/59/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर कृषि निदेशक, बीज एव प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।